

P U. Issued
R & I

आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. 11-18015/42/2013-एन एम. 111

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 22 अगस्त, 2013

सेवा में

श्री स्वामी अग्निवेश,
अध्यक्ष,
बंधुआ मुक्ति मोर्चा
7, जंतर मंतर रोड
नई दिल्ली-110001



विषय : आपके दिनांक 12.07.2013 के आवेदन के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके दिनांक 12.07.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 25.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है:-

2.1 वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। तथापि, 1.4.2013 से पहले, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के बारे में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को, नियमित हथियारों के साथ समर्पण करने वाले प्रति समर्पणकर्ता के लिए 20,000 रु. तथा हथियारों के बिना समर्पण करने वाले प्रति समर्पणकर्ता के लिए 10,000 रु. की अधिकतम दरों पर समर्पणकर्ता वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की है।

2.2 भारत सरकार ने 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की समर्पण-सह-पुनर्वास योजना' संबंधी दिशा निर्देशों को हाल ही में 1.4.2013 से संशोधित किया है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य सरकार के समक्ष समर्पण करने वाले उच्चतर रैंक के वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के लिए 2.5 लाख रु. तथा मध्यम/निम्नतर रैंक के वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के लिए 1.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान शामिल है। इन समर्पणकर्ताओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए तीन वर्ष की अवधि तक 4000/- रु. का मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हथियारों/गोलाबारूद आदि के समर्पण के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

... प्रमशः 2/-

2.3 समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त किया जा सकता है।

3. उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

दलजीत सिंह

d/e

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (ए एन ओ-1) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 25/7/2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में सूचनार्थ।

HW/25/8

574/Dy(Com)/13
25/7/13
पृष्ठ 83 / (US NM-III)
26/7/2013

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 25/07/2013

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुद्धी श्रीमती अजिनेश का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुद्धी श्रीमती अजिनेश के दिनांक: 12 / 07 /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 17 / 07 /2013 को प्राप्त) को एन.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 23 / 07 /2013 की रसीद सं. 25784 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एन श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

US (NM II)

शु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में निदेशक (अ.र.म.)

गृह मंत्रालय
मौखी बंगला
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/शुद्धी श्रीमती अजिनेश
अहमद, वी.ए.आ. मुक्ति मोर्चा
7, अन्तर मन्तर रोड
नई दिल्ली - 110001.

This is meant for
US (NM-III)

26/07

(BJS) 26/7/2013
US (NM-III)

(SA NM-III) 26/7
Sh. VK.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

749/NM-III
26/7/2013

II-18015/42/2013 - NM III.

-2-

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

25784

सं. /No.

दिनांक 20
Dated 23/07/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. श्रीमान श्रीमान

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. के दिनांक 20
Dated 20

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 088 703699

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आयक्षर /Initials

रुपये / Rs. 101

पदनाम / Designation



नई दिल्ली, जुलाई 12, 2013

जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

4741/RTI/2013
24/7/13


विषय: आरटीआई, 2005 के तहत निम्न सूचना देने की कृपा करें।

नक्सलवादियों/माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनकी पुर्नवास योजना के लिए कितनी धन राशि राज्यों को दी गई है। जारी की गई राशि को राज्यवार भेजने की कृपा करें?

पुर्नवास योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों/माओवादियों की सूची दी गई सहायता राशि के साथ भेजने की कृपा करें।

आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

Dir (NM)

भवदीय,

(स्वामी अग्निवेश)
अध्यक्ष
बंधुआ मुक्ति मोर्चा
7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001
फोन: 011. 2336 7943, फैक्स: 011.2336 7946
इमेल: agnivesh70@gmail.com